

सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध

उत्तराखण्ड शासन।

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4

संख्या: /XXXV-4/2017

देहरादून: दिनांक: 10 नवम्बर, 2017

1. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, पशुपालन/पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, उद्यान/कृषि/कृषि विपणन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 28 अगस्त, 2017 को पतंजलि योगपीठ के साथ परस्पर सहयोग की समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 04 सितम्बर, 2017 (छायाप्रति-संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। समीक्षा बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के सापेक्ष जारी कार्यवृत्त के पश्चात् प्राथमिकता वाले विषयों पर कार्यवाही पूर्ण, कार्यवाही गतिमान, कार्यवाही अनारम्भ इत्यादि पर अनुपालन आख्या तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ताकि मा0 मुख्यमंत्री जी को ससमय अवगत कराया जा सके। मा0 मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार भविष्य में सम्बन्धित विभाग की समीक्षा बैठक में पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की स्टेट्स रिपोर्ट की समीक्षा के साथ ही अगली बैठक प्रारम्भ की जायेगी।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्राथमिकता वाले निम्नांकित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए तत्संबंधित अनुपालन आख्या/अध्यावधिक स्थिति से तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें:-

1. आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अध्ययनरत छात्रों को शोध एवं परीक्षण कार्य हेतु पतंजलि संस्थान द्वारा रेट लिस्ट के आधार पर प्रयोगशाला में शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इसी दर पर राज्य के अन्य विभागों को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। पतंजलि संस्थान द्वारा परीक्षण की दरें (Rate list) अन्य राज्यों की प्रयोगशालाओं से कम रखी जायेगी।
2. मुनि की रेती, ऋषिकेश स्थित सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन को "आदर्श वनौषधि वाटिका" के रूप में पतंजलि संस्था के सहयोग से विकसित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा पतंजलि संस्थान से Modalities तैयार कर विधिपूर्वक निर्णय लेगा।
3. Eco Tourism के Centres के संचालन की सम्भावनाओं को भी देखा जायेगा।
4. पशुपालन विभाग द्वारा पतंजलि संस्थान द्वारा निर्मित पशुचारा-साइलेज की उपलब्धता राज्य के पशुपालकों तक सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से साइलेज की खरीद एवं

पशुपालन विभाग के पास उपलब्ध गौमूत्र पतंजलि संस्थान को विक्रय किये जाने, दरें निर्धारित करने अथवा परस्पर विनिमय पर सैद्धान्तिक सहमति बनी। वित्तीय एवं विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये कार्यवाही करें।

5. पशुपालन विभाग द्वारा नरियाल गांव जनपद-चम्पावत स्थित बद्रीगाय संवर्द्धन प्रोजेक्ट के संचालन एवं विकास में पतंजलि संस्थान के सहयोग की सम्भावनाओं पर Modalities तैयार कर विधिपूर्वक निर्णय लेगा।
6. Village Tourism Project में चिह्नित ग्रामों में परस्पर सहयोग की सम्भावनाएँ।
7. चिह्नित टी0आर0सी0 के संचालन पर पर्यटन विभाग एवं पतंजलि संस्थान Negotiate करके विधिपूर्वक निर्णय लेंगे।
8. मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा पतंजलि संस्थान राज्य के कृषकों से Contract Farming का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बेहतर मूल्य प्रदान करने के निर्देश दिये गये।
9. पतंजलि संस्थान अपनी आवश्यकता के आधार पर मोटे अनाजों, फल आदि एवं जड़ी-बूटियों की सूची तथा खरीद की दरें राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जाएगी, जिसका सदुपयोग विभाग द्वारा कृषक हित में किया जायेगा।
10. पतंजलि कृषकों को ऐसी जड़ी-बूटियों की सूचना भी उपलब्ध करायेगा जो Seasonal प्रकृति की व अल्प अवधि की हो एवं पर्वतीय कृषकों हेतु लाभप्रद हों। जानकारी का सदुपयोग विभाग करेगा।
11. पतंजलि संस्थान जनपद हरिद्वार के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को अंगीकृत करेगा एवं उन्हें स्वच्छता (Sanitation) सुविधाएँ उपलब्ध कराता रहेगा।
12. मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य हित में ग्रामीण महिलाओं को पतंजलि संस्थान अगारबत्ती निर्माण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करें एवं उनके द्वारा निर्मित उत्पाद को पतंजलि द्वारा क्रय कर सकता है। इससे ग्रामीणों को रोजगार मिल सकेगा।

**संलग्नक: उपरोक्तानुसार।**

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव, मुख्यमंत्री।

**संख्या: 318 /XXXV-4/2017, तददिनांकित।**

**प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:**

1. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

(डॉ० मेहरबान सिंह बिष्ट)  
अपर सचिव, मुख्यमंत्री।